

Divisional Employment Office Hisar

No.ES-2/09

Dated:-07/08/09

To

Deputy Commissioner
Hisar.

Subject:- **Information for the updating the contents on official web site of the District Hisar**

R/Sir,

Kindly refer to your letter no.7151-7200/MA Dated 04.08.09 on the above cited subject.

The above required information are attached .This is for your kind information and necessary action please.

Thanking you

Encl: as above

Your Faithfully

Divisional Employment officer
Hisar

अपना भविष्य उज्ज्वल बनाये, रोजगार विभाग से सेवायें पाये

1. पंजीकरण कार्य

कोई भी प्रार्थी अपना नाम किसी भी कार्यदिवस में लिखवा सकता है ।
अनपढ से उच्च शिक्षा तक अपना नाम रोजगार कार्यालय में लिखवा सकता है ।

क्या चाहिए :-

प्रार्थी अपना पहचानपत्र/राशनकार्ड/हरियाणा रिहायसी/एससी/बीसी है तो प्रमाण पत्र । यदि पढा-लिखा है तो अपनी योग्यता संबंधित सभी प्रमाणपत्र लाये ।

2- रिक्ति एवं सम्प्रेषण कार्य :-

जब रोजगार कार्यालय में सहकारी/अर्धसरकारी/गैरसरकारी नियोजक से कोई रिक्ति आती है तो उसका नाम योग्यता एवं प्रवृत्ता के आधार पर सबसे वरिष्ठ प्रार्थियों को उस रिक्ति हेतु सम्प्रषित किया जाता है ।

3. बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्रता :-

दसवी पास			10+2 पास			स्नातक पास व इत्यादि		
पु.	म.	कुल	पु.	म.	कुल	पु.	म.	कुल
271	117	388	1185	423	1608	975	671	1646
राशि			राशि			राशि		
पु.	म.	कुल	पु.	म.	कुल	पु.	म.	कुल
79500	27000	106500	1308750	756450	2065200	2041050	1725600	3766650

नोट— उपरोक्त राशि एक त्रैमास की है ।

1. प्रार्थी हरियाणा का निवासी हो इसके लिए उसे पहचान पत्र, हरियाणा डोमीसाईल राशनकार्ड प्रस्तुत करना होगा ।
2. आयु 21 वर्ष से 35 वर्ष हो ।
3. प्रार्थी विद्यार्थी, प्रशिक्षार्थी, अपेटींशिप न हो ।
4. प्रार्थी का पंजीकरण पहली नवम्बर को रोजगार कार्यालय में कम से कम तीन वर्ष पुराना हो ।
5. वार्षिक आय 50 हजार से ज्यादा न हो ।
6. प्रार्थी का पति/पत्नी नोकरी में न हो ।
7. प्रार्थी स्व-रोजगार में न हो ।
8. प्रार्थी के पास 10 लाख रुपये के मूल्य से अधिक मूल्य की रिहायशी/वाणिज्यक संपत्ति या 2 हक्टेयर से अधिक कृषि भूमि न हो ।
9. प्रार्थी के किसी मामले में 6 मास या इससे अधिक सजा भुगत चुके हो वे भत्ते के पात्र नहीं होंगे ।

एक परिवार एक रोजगार

इस स्कीम को 1993 में लागू किया गया जिसके अन्तर्गत जिस प्रार्थी के परिवार में कोई नोकरी पर नहीं है । उसे इस योजना के माध्यम से नोकरी दिलवाने का विशेष प्रावधान है ।

मार्गदर्शन शाखा

1. हर सप्ताह के मंगलवार को दरबार लगाया जाता है । जिसमें प्रार्थिया को स्व रोजगार व अन्य रोजगार संबंधित व सूचना दी जाती है ।
2. पंजीकरण मार्गदर्शन:-पंजीकरण के समय प्रार्थी की योग्यता व उसके बुद्धिस्तर रुचि,अभिवृत्ति,व्यक्तिगत आदि चीजों को देखकर विभिन्न व्यवसायों बारे में मार्गदर्शन दिया जाता है ।
3. व्यक्तिगत मार्गदर्शन:- इसमें प्रार्थी को व्यक्तिगत मार्गदर्शन दिया जाता है ।
4. गुप मार्गदर्शन:- इसमें योग्यता,आयु,लिंग,एरिया, आदि आधार पर गुप बना कर पुरे समूह को मार्गदर्शन दिया जाता है ।
5. विशेष मार्गदर्शन:- इसमें विकलांग विधवा,असमान्य प्रार्थियों को या कोई स्पेसिफिक मार्गदर्शन चाहता है तो उसे मार्गदर्शन दिया जाता है ।
6. विज्ञापित रिक्तियों बारे कार्यवाही :-
 1. विभिन्न अखबारों में विज्ञापित रिक्तियों की सूचना व पूरा ब्योरा बेरोजगारों को दिया जाता है, रोजगार समाचार में निकली विज्ञापित रिक्तियों के लिए प्रार्थियों का प्रार्थनापत्र नियोजक को भेजा जाता है ।
 2. संजीव रजिस्टर से प्रार्थियों को बुलाकर व्यवसाय संबंधित व स्व. रोजगार संबंधित मार्गदर्शन दिया जाता है ।
 3. कैरियर टाक :- स्कूल व कालेजों में पढने वाले बच्चों को विभिन्न व्यवसायों,कार्यों नौकरियों,ट्रेनिंग संबंधित सूचना स्कूल/कालेज जाकर कैरियर टाक के माध्यम से सूचना दी जाती है ।
 4. स्कूलो/कालेजों के प्रिंसिपल से मिलकर स्कूलो/कालेजों में व्यवसायिक सूचना कार्नर भी खुलवाया जाता है ।
 5. कैरियर काउंसलिंग :- स्कूलो व कालेजों में जाकर बच्चों की काउंसलिंग भी दी जाती है ।
 6. मोटिवेशन व कैरियर अवैयरनस कैम्प तथा रोजगार मेंलो का समय-2 पर आयोजन किया जाता है ।

विदेश रोजगार योजना :-

जो प्रार्थी विदेशो में नोकरी/शिक्षा अध्यन के इच्छुक है उन प्रार्थियों को अपना रजिस्ट्रेशन आनलाईन कराने की सुविधा प्रदान की गयी है । जिसका संचालन पंचकूला से किया जाता है । इसकी वेब साईट निम्न प्रकार से है-

www.hayanajobs.in

www.opbharyana.com

E-mail- hopashry@gmail.com

info@opharyana.com

क्या चाहिये:-

1. प्रार्थी कम से कम 12 वी पास होना चाहिये ।
2. प्रार्थी के पास पासपोर्ट होना चाहिये ।
3. प्रार्थी अविवाहित होना चाहिये ।
4. प्रार्थी योग्यता के अनुसार नोकरी पर भेजा जाता है ।

रोजगार मार्केट मार्गदर्शन शाखा (EMI)

इस शाखा द्वारा डाटा इक्ठा किया जाता है तथा ये शाखा सरकारी/निजी सैक्टर के डाटे इक्ठे करती है तथा इसकी रिपोर्ट निदेशक रोजगार हरियाणा चण्डीगढ व DGE & T नई दिल्ली को भेजी जाती है ।

office of the Deputy Commissioner Hisar

Format for the contents of the information to be provided by the Divisional Employment Officer, Hisar Employment Deptt., Haryana.

